फैक्स / क्यूमेल / आवश्यक

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर–1 चर्तुथ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–22602

संख्याः18–233–2021 (एसआई–लिपिक) दिनांकःलखनऊःजनवरी 10 ,2024

आदेश

पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) सर्वेश सिंह पीएनओ–892462636 का चयन वर्ष 2021 की रिक्ति के सापेक्ष रखा गया मुहर बन्द लिफाफा खोलकर पुलिस निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति की प्रदेयता पर पुनर्विचार किये जाने हेतु प्रकरण मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनॉक 14.12.2023 द्वारा भर्ती बोर्ड को सन्दर्भित किया गया था।

2. उक्त के क्रम में अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पत्र संख्याः UPPRPB-PROM0SI/3/2023-PRO-SEC दिनांकः 01.01.2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी विभागीय चयन समिति की संस्तुति के अनुसार भर्ती बोर्ड स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उक्त कर्मी के चयन वर्ष 2021 से संबंधित मुहर बन्द लिफाफे को खोला गया तो पाया गया कि कार्मिक के विरूद्ध तत्समय नियम–14(1) की कार्यवाही प्रचलित होने के कारण उक्त प्रकरण को छोडते हुये अन्य सेवाभिलेखों के आधार पर पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) से पुलिस निरीक्षक(लिपिक) के पद पर वर्गीकृत करते हुये संस्तुति मुहरबन्द लिफाफे में रखी गयी। अतः चयन वर्ष 2021 की रिक्ति के सापेक्ष मुहर बन्द लिफाफे में रखी संस्तुति एवं कार्मिक के विरूद्ध तत्समय प्रचलित कार्यवाही में प्राप्त परिणाम(दण्डादेश संख्या–पीएफ–10 / 2020(द–957 / 2020) दिनॉक 12.09.2022 द्वारा 01 वर्ष के लिए न्यूनतम वेतन में प्रत्यावर्तित) को सम्मिलित करते हुये किये गये पुनर्विचार में कार्मिक को (चयन वर्ष के विगत 05 वर्षों में(घटना की तिथि वर्ष 2018) दीर्घ दण्ड होने के कारण) अनुपयुक्त पाया गया।

3. विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा समानता की दृष्टि से पूर्व में निर्धारित उपर्युक्त मापदण्डों को अपनाते हुये श्री सर्वेश कुमार सिंह को पुलिस निरीक्षक(लिपिक) के पद पर चयन वर्ष–2022 के सापेक्ष चयन वर्ष–2021 की सुरक्षित रिक्ति के सापेक्ष पदोन्नति की प्रदेयता पर पुनर्विचार करते हुये समिति द्वारा कर्मी को प्रदत्त उक्त दण्डादेश के कारण चयन वर्ष–2021 की रिक्ति के सापेक्ष अनुपयुक्त किये जाने एवं चयन वर्ष– 2022 हेतु अपनाये गये मापदण्डों के अनुसार उपरोक्त दीर्घ दण्ड का संज्ञान चयन वर्ष 2021 की रिक्ति के सापेक्ष ले लिये जाने के कारण पुनः उक्त दण्ड को संज्ञान में लेने का औचित्य स्थापित न होने के दृष्टिगत विभागीय चयन समिति द्वारा पुलिस उपनिरीक्षक(लिपिक) श्री सर्वेश सिंह को पुलिस निरीक्षक(लिपिक) के पद पर नोशनल पदोन्नति हेतु उपयुक्त मुल्यांकित करते हुये उक्त कर्मी को तात्कालिक प्रभाव से पुलिस निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी है।

4. भर्ती बोर्ड स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति द्वारा उक्त कर्मी को चयन वर्ष 2022 की रिक्ति के सापेक्ष पुलिस निरीक्षक (लिपिक) के पद पर नोशनल पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने तथा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें तत्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही उनके नाम के सम्मुख अंकित पूर्व चयन वर्ष में उनके वरिष्ठ / कनिष्ठ कर्मी की तिथि से नोशनल पदोन्नति प्रदान करते हुये तात्कालिक प्रभाव से पुलिस निरीक्षक(लिपिक) के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया जाता है, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

क0सं0	पीएनओ	कर्मी का नाम	पिता का नाम	चयन वर्ष	जनपद / इकाई
1	892462636	सर्वेश सिंह	श्री शिवराज सिंह यादव	2022	जीआरपी आगरा (वर्तमान में यू0पी0 112 मुख्यालय लखनऊ)

5. पदोन्नति पाये उक्त पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) अपने नियुक्ति स्थान जनपद / इकाई / शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेगें। पदोन्नति प्राप्त करने वाले कर्मियों के परिवीक्षा काल हेतु उ0प्र0 पुलिस

Scanned with OKEN Scanner

लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली–2015 यथा संशोधित 2020 में अंकित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

6.. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) से **संलग्न प्रारूप (क)** में स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21/89–का–1–1997 दिनांक: 28.05.1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉः–

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप–पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनो परिस्थितियॉ सम्बन्धित उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरूद्ध विद्यमान न हों।

7. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) को पुलिस निरीक्षक (लिपिक) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

8. यदि सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस महानिदेशक मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. उक्त आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है। सम्बन्धित जनपद उक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से डाउनलोड कर नोशनल पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा अनुपालन से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोपरि।

10/1/24

(अमृता मिश्रा)
अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना,
नि0 अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना
उतर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।

2–अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे/यू0पी0–112 मुख्यालय लखनऊ।

3–पुलिस अधीक्षक, प्रशासन, यू0पी0–112 मुख्यालय लखनऊ को आदेश की 02 प्रतियां इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि वह आदेश की एक प्रति पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) सर्वेश सिंह पीएनओ–892462636 यू0पी0–112 मुख्यालय लखनऊ को प्राप्त कराकर दूसरी प्रति पर उनके प्राप्ति के हस्ताक्षर दिनॉक सहित लेकर उसकी प्रति इस मुख्यालय को वापस करने का कष्ट करें।

4–पुलिस अधीक्षक, रेलवे आगरा अनुभाग आगरा।

Scanned with OKEN Scanner

फैक्स/क्यूमेल/आवश्यक

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर–1 चर्तुथ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226002

संख्याः18–233–2021(एसआई–लिपिक) दिनांकःलखनऊःजनवरी 10 ,2024

आदेश

इस मुख्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांकः10.01.2024 द्वारा निम्नलिखित पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) को उनके नाम के सम्मुख अंकित चयन वर्ष के सापेक्ष उनके कनिष्ठ की तिथि से पुलिस निरीक्षक (लिपिक) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया गया हैः–

क0सं0	पीएनओ	कर्मी का नाम	पिता का नाम	चयन वर्ष	जनपद/इकाई
1	892462636	सर्वेश सिंह	श्री शिवराज सिंह	2022	जीआरपी आगरा(वर्तमान में यू0पी0–112 मुख्यालय लखनऊ)

2. इस मुख्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांकः10.01.2024 द्वारा उक्त पुलिस उपनिरीक्षक (लिपिक) को उनके कनिष्ठ कर्मी की तिथि से नोशनल पदोन्नति प्रदान करने के फलस्वरूप पुलिस निरीक्षक(लिपिक) चयन वर्ष 2022 में चयनित कर्मियों के वरिष्ठता क्रम में पुलिस निरीक्षक (लिपिक) के पद पर इनकी वरिष्ठता यथा–स्थान निर्धारित की जाती है। इस नोशनल पदोन्नति से पुलिस निरीक्षक(लिपिक) सर्वेश सिंह को कोई वित्तीय लाभ देय नहीं होगा। यह आदेश मात्र उनकी संयुक्त वरिष्ठता निर्धारण हेतु निर्गत किया जा रहा है।

वरिष्ठ/कनिष्ठ	नाम/पदनाम	पीएनओ	भर्ती तिथि	चयन वर्ष
वरिष्ठ	सतीश कुमार यादव	880790060	12-08-1988	2022
याची	सर्वेश सिंह	892462636	02-12-1989	2022
कनिष्ठ	अरूण कुमार मौर्य	900790067	06-09-1990	2022

3. आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है। समस्त सम्बन्धित जनपद/इकाई उक्त आदेश की प्रति अपने स्तर से डाउनलोड कर नोशनल पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा अनुपालन से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

10/1/24

(अमृता मिश्रा)
अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना,
नि0 अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना
उतर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।

2–अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे/यू0पी0–112 मुख्यालय लखनऊ।

3–पुलिस अधीक्षक, प्रशासन, यू0पी0–112 मुख्यालय लखनऊ को आदेश की 02 प्रतियां इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि वह आदेश की एक प्रति पुलिस उप निरीक्षक(लिपिक) सर्वेश सिंह पीएनओ–892462636 यू0पी0–112 मुख्यालय लखनऊ को प्राप्त कराकर दूसरी प्रति पर उनके प्राप्ति के हस्ताक्षर दिनॉक सहित लेकर उसकी प्रति इस मुख्यालय को वापस करने का कष्ट करें।

4–पुलिस अधीक्षक, रेलवे आगरा अनुभाग आगरा।

Scanned with OKEN Scanner

स्वघोषणा–पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)————————————————————————पुत्र

——————————निवासी————————————थाना——————————जनपद——————————

वर्तमान में(जनपद/इकाई)————————————————————————————नियुक्त हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:–

(1) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई————————में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांकः———— को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0——————————धारा————————————————————थाना——————————

जनपद————————में लम्बित है, जिसमें दिनांकः————————को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी——————————द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में——————————स्तर पर चल रहा है।

2– मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा–पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ
नियुक्ति स्थान–
दिनांकः–

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट–स्वघोषणा–पत्र के प्रस्तर–1 के उपप्रस्तर–(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।

Scanned with OKEN Scanner